कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/ मु0व0सं0/उ0/निस्तार/591 भोपाल दिनांक 25–1–1994

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

विषय :– डिपोज में निस्तारी वन उपज के शेष बचे वनउपज के निर्वतन के संबंध में ।

—0—

विषयांकित प्रकरण के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ डिपो में 30 जून को शेष बचे निस्तारी वन उपज के निर्वतन के संबंध में जो पूर्व में आदेश दिये गये थे उसे निरस्त मान कर निम्न निर्देश का पालन किया जावेः–

1/ वर्तमान में जो निस्तारी वनोपज शेष बचती है उन्हें (लगभग 10 प्रतिशत रोक) अन्यत्र डिपो में न ले जाते हुये उसी निस्तार/उपभोक्ता डिपो में स्थानीय नीलाम द्वारा निर्वतन करेगें। शेष बची वन उपज का नीलामी द्वारा निर्वतन वन मंडलाधिकारी अपने सक्षमता से करेगें।

2/ कृपया ध्यान रखें कि डिपो में निस्तारी वनउपज शेष न रहे। निर्वतन के उपरान्त डिपो में बचत शून्य होना चाहिये।

3/ निस्तार उपभोक्ता डिपो में अच्छी लकड़ी रखी जावे।

4/ प्रत्येक माह में सहायक वन संरक्षक से इसका सत्यापन कराया जावे तथा 6 माह में वनाधिकारी (वमंडलाधिकारी) से इसका सत्यापन कराया जाकर अपने माध्यम से प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजें।

हस्ता.
मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

पृ. क्रमांक/ मु0व0सं0/उ0/निस्तार/592 भोपाल दिनांक 25–1–1994

प्रतिलिपि :–

समस्त वनमंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। दिये गये निर्देश का पालन करते हुये वन संरक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन भेजें।

हस्ता.
मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल